

14.6.22

पागावली पेश इई / वकील पक्ष कारण अनुप्रास्येत।
वकील प्राची व प्राची एवं वकील प्राची गण एवं अप्राची गण
को न्यायालय समग्र तक वॉर-वॉर कायाल
लोगवाई गई। लेकिन वकील उपास्येत नहों, इए वॉर
वा-ही प्रमाप्त अवसा के अप्राची गणों को तामील
हेतु तलवाना वॉरस पेश नहों किमे गमे ही।

अतः प्राची का प्राचीना वत अन्तर्गत धारा 22
ग.टी ए० प्रमाप्त अवसा के अप्राची गणों को
तामील हेतु तलवाना वॉरस पेश नही करने
के अमान में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05
के तहत वॉरस किमा जाता है। पागावली निसल
शुमा होकर गम्बर से काम होकर दाखिल -
दफ्तार हो। किरीय तुलने न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
संयोजक लेख

